जयपुर विकास प्राधिकरण,जयपुर।

भवन मानचित्र समिति(ले आउट प्लान) की 69वीं बैठक दिनांक 4-10-2004 को अपरान्ह् 12.30 बजे आयुक्त, जयपुर विकास प्राधिकरण की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई, का कार्यवाही विवरण एजेण्डा संख्या 1 वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) एवं एजेण्डा संख्या 2 वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.) द्वारा तैयार किया गया **जिसका संकलित कार्यवाही विवरण:-**

बैठक में समिति के निम्न सदस्यों ने भाग लिया-

1. श्री ए.के. हेमकार, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
2. श्री एस.सी. महागांवकर, निदेशक(आयोजना)जविप्रा, जयपुर।
3. श्री ओ.पी. यादव, अति.आयुक्त भूमि (पश्चिम)जविप्रा, जयपुर।
4. श्री ए.एन. भार्गव, वरिष्ठ नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।

बैठक में निम्न अधिकारी भी उपस्थित थे-

1. श्री पी.अरविन्द, वरिष्ठ नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
2. श्री आर.के. वर्मा, उपायुक्त जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
3. श्री एस.एन. तिवाडी, उपायुक्त जोन-6, जविप्रा, जयपुर।
4. श्री नीरज तिवाडी, उप नगर नियोजक(बीपीसी) जविप्रा, जयपुर।
5. श्री सतीश शर्मा, उप नगर नियोजक(एम.पी.)जविप्रा, जयपुर।
6. श्री श्रीनाथ माहेश्वरी, उप नगर नियोजक, जोन-2, जविप्रा, जयपुर।
7. श्रीमती साधना शर्मा, उप नगर नियोजक, जोन-7, जविप्रा, जयपुर।

एजेण्डा विवरण:-

एजेण्डा आईटम सं. 1 :-

गुलाबबाडी गृ.निस. समिति की योजना डॉक्टर्स कॉलोनी के आंशिक अनुमोदन के संबंध में।

उपायुक्त जोन द्वारा एवं उप नगर नियोजक जोन द्वारा प्रस्तुत एजेण्डा एवं बताये गये तथ्यों के आधार पर समिति द्वारा विचार-विमर्श किया जाकर निम्नांकित निर्णय लिये गये:-

1. योजना की शेष सभी आन्तरिक सडकों को 30फिट किया जावे।
2. भूखण्ड सं0 पुराना 176 (नया 191) को अनुमोदित नहीं किया जावे। उपायुक्त जोन व उप नगर नियोजक जोन द्वारा मौका निरीक्षण किया जावे तथा पूर्व बीपीसी बैठक के बाद परिवर्तित स्थिति के संबंध में कारण दिये जाकर प्रकरण भवन मानचित्र समिति के समक्ष प्रस्तुत किया जावे।
3. सैक्टर रोड की चौडाई 60फिट ही रखते हुए मोके पर मिलने वाली मापो के अनुसार ही नियमन की कार्यवाही की जावे।
4. भूखण्ड सं0 162 व 163 के सामने सडक की चौडाई 60फिट ही रखी जावे। लेकिन खसरा सीमा के बाहर आता हो तो नियमानुसार भूमि की कीमत लेकर नियमन किया जावें।
5. भूखण्ड सं0 180 (पुराना 150 ए) को निर्धारित सैट बैक छोडने के पश्चात् निर्माण योग्य क्षेत्रफल नहीं मिलता है अत: इसे अस्वीकृत (Not approved) किया जावे।
6. पुराना भूखण्ड सं0 83 (नया 192) का आधा भाग योजना की खसरा सीमा से बाहर है अत: खसरे सीमा से बाहर के क्षेत्र के लिए नियमानुसार राशि ली जावे।
7. पुन: सर्वेसित भाग में दर्शित 40फिट सडक को (भूखण्ड सं0 44 से 47ए (नया)) आगे सडक से मिलान किया जावे एवं इस सडक क्षेत्र में आने वाले भूखण्ड सं0 185 पूरा व 186 के आंशिक भाग को निरस्त किया जावे।

8. भूखण्ड सं0 188 (नया) पर से रोड गुजर रही है तथा भूखण्ड सं0 189 व 190 (नया) चित्रकूट योजना का भाग है अतः तीनो ही भूखण्ड सं0 188, 189 व 190 (नया) को निरस्त किया जावे।

उपरोक्तानुसार संशोधन करते हुए मानचित्र अनुमोदित किया जावे।

एजेण्डा आईटम सं. 2 :-

जय चामुण्डा गृ.नि.स.स. की योजना संख्या 2 (पृथ्वी नगर) से प्रभावित विद्याधर नगर योजना की 55 मी0 चौडाई की तीन मुख्य सड़कों एवं चौपड़ के वैकल्पिक प्रस्ताव व योजना अनुमोदन के संबंध में। (जोन 2 ए)

अध्यक्ष महोदय की अनुमति से एजेण्डा समिति के समक्ष प्रस्तुत किया गया।

प्रकरण पर समिति द्वारा विस्तार से विचार विमर्श कर निर्णय लिया गया कि इस क्षेत्र में आ रही तीनों योजनाओं पृथ्वी नगर (जय चामुण्डा गृ.नि.स.स.) एल एस नगर (शिल्पाचार्य विश्वकर्मा गृ.नि.स.स.) व मदनबाड़ी-राजीव नगर (माधव नगर गृ.नि.स.स.) के योजना मानचित्र को जोन स्तर पर प्रस्तावित सड़कों के मध्यनजर में feasibility जांच कर तीनों योजनाओं के प्रकरण को एक साथ बैठक में रखा जावें, ताकि प्रस्तावित वैकल्पिक सड़को के संबंध में निर्णय किया जा सकें।

बैठक अध्यक्ष महोदय को धन्यवाद के साथ सम्पन्न हुई।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)

क्रमांक :- जविप्रा/वननि/बी.पी.सी./2004/डी- 157
दिनांक :- 15/10/04

प्रतिलिपि :-

1. वरिष्ठ निजी सचिव, आयुक्त, जविप्रा, जयपुर।
2. निजी सचिव, सचिव, जविप्रा, जयपुर।
3. निदेशक (आयोजना), जविप्रा, जयपुर।
4. अति0 आयुक्त भूमि (पूर्व)/(पश्चिम), जविप्रा, जयपुर।
5. उपायुक्त जोन .... जविप्रा, जयपुर।
6. जनसम्पर्क अधिकारी, जविप्रा, जयपुर।

सदस्य सचिव,
भवन मानचित्र समिति (ले-आउट प्लान)
जयपुर विकास प्राधिकरण, जयपुर।